किस्म मुकदमा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 09/2022

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
07.12.2022	अभिभाषक प्रार्थी एवं राजकीय उपस्थित। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस मय संशोधन प्रस्तुत करते हुए बहस दौरान कथन किया कि प्रार्थना पत्र पेश करते समय टंकण में त्रुटि के कारण आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. की जगह आदेश 9 नियम 13 टंकित हो गया जो एक मानवीय भूल है जिसे संशोधित कर आदेश 9 नियम 9 के रूप में संशोधित किया जावे। अपीलान्ट के अभिभाषक दिनांक 01.11.2022 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी 09.11.2022 वास्ते नियत की गई परन्तु त्रुटिवश दिनाक 29.11.2022 अंकित हो गई जिस कारण वह न्यायालय मे दिनांक 09.11.2022 को उपस्थित नही हो सका। दिनांक 29.11.2022 को उपस्थित हुआ तो पता चला कि न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली को दिनांक 09.11.2022 को अदम हाजरी मे खारिज करने के आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने जानबूझकर भूल नही की है। अतः रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली को रेस्टोर किया जावे। हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र एवं बहस पर मनन किया। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र तथा बहस के आधार पर न्यायहित में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 09.11.2022 को रिकॉल किया जाकर अपील को रेस्टोर किया जाता है। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मूल अपील के साथ सलग्न हो। अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2023.01.05 12:13:35 IST
Reason: SelfAttested